न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

कमांक– 2974 दिनांक– 11/07/25

संशोधित आदेश

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर के धारा **183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023** के कथन लेखबद्व करने के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व के आदेश कमांक 2790 दिनांक 24.06.2025 को **आंशिक रूप से अतिलंघित** करते हुए केवल मात्र थाना **मालाखेडा** से सम्बन्धित आदेश के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश जारी किये जाते है–

अन्वेषण अधिकारी/थानाधिकारी द्वारा बयान अंतर्गत धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत लेखबद्व कराये जाने वांछित हो और उनके द्वारा इस आशय का प्रार्थना–पत्र पेश किया जावे, तो उस थाने के धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत बयान कराने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का निम्नानुसार पीठासीन अधिकारी द्वारा निस्तारण किया जावेंगा ।

क0सं0	थाना/ क्षेत्राधिकार न्यायालय	धारा–183 बी एन एस एस के तहत लिये जाने वाले न्यायालय का नाम	कॉलम संख्या–3 के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने/मुख्यालय से बाहर होने पर	कॉलम संख्या–4 के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने/मुख्यालय से बाहर होने पर	कॉलम संख्या–5 के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने/मुख्यालय से बाहर होने पर
1	2	3	4	5	6
01	Malakhera/ C.J.& J.M. Malakhera	A.C.J.M.-1, Alwar	A.C.J.M.-2, Alwar	A.C.J.M.-4, Alwar	A.C.J. & J.M.-1, Alwar

कॉलम संख्या–3 लगायत 6 तक के समस्त पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने एवं मुख्यालय से बाहर होने पर न्यायालय A.C.J.M.-2 Rajgarh जिला अलवर द्वारा धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत बयान लेखबद्व किये जावेंगे।

नोट– 01. किसी प्रकरण में माल अथवा मुलजिम की शिनाख्तगी की कार्यवाही नये संशोधित प्रावधानानुसार की जावेगी। इस प्रकार के प्रार्थना–पत्र सम्बन्धित थाने के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में ही पेश किये जावेंगे और पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रार्थना–पत्र पर विचार करते हुए शिनाख्तगी की कार्यवाही उपलब्ध कार्यपालक मजिस्ट्रेट से कराने के आदेश दिए जायेंगे।

अर्चना उपा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)

CR

02. माननीय उच्चतम न्यायालय के एस.एल.पी.(क्रिमिनल) नम्बर 5073/11 स्टेट आफॅ कर्नाटक बनाम शिवान्ना में पारित ओदश के निर्देशानुसार एवं प्रकिया की सुगमता के तहत धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में लेखबद्व कथन अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश करने पर, ऐसे कथनों की प्रति अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस आशय का घोषणा–पत्र पेश करने पर कि वह उक्त बयान में दर्ज कथन को किसी पर जाहिर नहीं करेंगे, तुरन्त अनुसंधान अधिकारी को लेखबद्व बयान की प्रति न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपलब्ध करायेगें।

03. यदि विशेष परिस्थितियों में उपरोक्त व्यवस्थानुसार कार्य करना सम्भव न हो तो इसके सम्बन्ध में पृथक से प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

04. उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

05 पूर्व के आदेश कमांक 2790 दिनांक 24.06.2025 थाना मालाखेडा को छोडकर यथावत लागू रहेगें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अलवर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)

कमांक– 2975 - 85 दिनांक–11/7/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्न को सादर प्रेषित है–

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर

02. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर

03. समस्त पीठासीन अधिकारी.....

04. समस्त थानाधिकारी,.....

05. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेश को साईट पर अपलोड करे)

06. कार्यालय प्रति/अध्यक्ष, बार एसोसियेशन अलवर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अलवर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)